

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 101/2004

1. बाबू लाल सैन पुत्र स्वर्गीय श्री ग्यारसी लाल सैन , उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर , जिला जयपुर।
2. गोपाल लाल सैन पुत्र स्वर्गीय श्री ग्यारसी लाल सैन , उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर , जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर।
2. राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, जयपुर
3. अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर।
4. तहसीलदार सांगानेर , जिला जयपुर।
5. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. कृषि सहकारी समिति अन्या जाति , बगरू कलां, सचिव सीताराम हैं झालानी पुत्र ओंकारमल , निवासी बगरू कलां, तहसील सांगानेर , जिला जयपुर

----प्रतिवादी

से जुड़े

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 100/2004

मोहनलाल सैन पुत्र स्वर्गीय श्री चौथमल सेन उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से उनकी मृत्यु हो चुकी है-

----याचिकाकर्ता

1. राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर।
2. राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, जयपुर।
3. अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर।
4. तहसीलदार , सांगानेर , जिला जयपुर।
5. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. कृषि सहकारी समिति अन्या जाति , बगरू कलां अपने सचिव सीताराम के माध्यम से झालानी पुत्र ओंकारमल निवासी बगरू कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

----प्रतिवादी

से जुड़ा हुआ

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 6655/2003

1. श्रीमती धापू पत्नी स्वर्गीय श्री घीसा पुत्र नानग नॉर्टन राम
2. नॉर्टन
3. सुआ लाल
4. गोपाल
5. जगदीश (अब दिवंगत) अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से:
- 5/1. श्रीमती पप्पू देवी
- 5/2. पूरन मल, उम्र 15 वर्ष

5/3. महेश, उम्र 13 वर्ष
5/4. दिनेश, उम्र 11 वर्ष
संख्या 5/2 से 5/4 तक उनकी माता और प्राकृतिक अभिभावक संख्या 5/1 के माध्यम से।
क्रमांक 2 से 5 तक सभी स्वर्गीय श्री घीसा पुत्र नानग राम के पुत्र हैं।
सभी निवासी ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर , जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर
2. राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, जयपुर।
3. अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम), जयपुर।
4. तहसीलदार , सांगानेर , जिला जयपुर।
5. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. कृषि सहकारी समिति अन्य जाति बगरू कलां, अपने सचिव सीताराम के माध्यम से झालानी पुत्र श्री ओंकारमल , निवासी बगरू कलां, तहसील सांगानेर , जिला जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री अमित जिंदल सुश्री नीतू भंसाली
प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री नीरज बत्रा , जीसी
श्री अमित कुरी
श्री हर्षवर्द्धन के साथ शेखावत और
सुश्री नंदिनी मिर्धा

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

निर्णय

18/09/2024

1. इन याचिकाओं पर सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि इनमें शामिल तथ्य और मुद्दे समान हैं। सुविधा के लिए, तथ्य एसबी सीडब्ल्यूपी संख्या 101/2004 से लिए गए हैं।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता कृषि एवं किसान कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। सहकारी सांगानेर तहसील के बगरू कलां गाँव की समिति अन्य जाति (जिसे आगे "सोसायटी" कहा जाएगा)। 08.07.1959 को, बगरू कलां गाँव में स्थित 319 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि भू-राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम, 1959 के अंतर्गत सोसायटी के पक्ष में आवंटित की गई थी। सोसायटी ने सदस्यों को भूमि का कब्जा सौंप दिया। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले आयोग द्वारा की गई जाँच के बाद, नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण सहकारी समिति के पक्ष में भूमि के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। अतिरिक्त कलेक्टर- प्रथम , जयपुर द्वारा दिनांक 16.05.1997 को रद्द करने का आदेश पारित किया गया था। सोसायटी द्वारा प्रस्तुत अपील 24.11.1997 को खारिज कर दी गई थी। राजस्व मंडल के समक्ष दूसरी अपील का भी यही हथ्र हुआ। सोसायटी ने राजस्व बोर्ड के दिनांक 25.09.2002 के आदेश को एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 302/2007 दायर करके चुनौती दी। रिट याचिका 09.02.2007 को खारिज कर दी गई। डीबी

विशेष अपील रिट संख्या 545/2007, जिसका शीर्षक कृषि है। सहकारी समिति अन्य जाति बनाम राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर एवं अन्य को 02.11.2017 को खारिज कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता सोसाइटी के सदस्य हैं और सोसाइटी को भूमि आवंटन रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। तर्क यह है कि नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और प्रतिवादी ने तीस वर्षों से अधिक समय बाद आवंटन रद्द करके गलती की है।
4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सोसाइटी को आवंटन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया था। जाँच में पाया गया कि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया था। तर्क यह है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आवंटन रद्द करने के निर्णय को बरकरार रखा था। भूमि आवंटन रद्द करने का मामला अंतिम रूप ले चुका है।
5. यह निर्विवाद तथ्य है कि भूमि सोसायटी को आवंटित की गई थी और सोसायटी के विरुद्ध निरस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। सोसायटी ने भूमि आवंटन निरस्तीकरण के विरुद्ध सभी उपायों का लाभ उठाया था। इस न्यायालय की खंडपीठ ने निरस्तीकरण आदेश को बरकरार रखा। इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि खंडपीठ के आदेश को आगे चुनौती दी गई थी।
6. वर्तमान याचिकाओं में शिकायत दिनांक 16.05.1997 के उस निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध है, जिसमें सोसायटी को भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया था। इस न्यायालय की खंडपीठ ने डीबी विशेष अपील रिट संख्या 545/2007 में इस आदेश को बरकरार रखा है और यह अंतिम रूप ले चुका है, ऐसी परिस्थितियों में इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
7. तदनुसार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

(अवनीश झिंगन), जे

चंदन /8-9/एस-1

रिपोर्ट योग्य: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी